तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 14/2020 अनवान देवी बनाम मूलाराम	हुकम की तामील में जारी हुए
29/11/22	**निर्णय** पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि उसके द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमें उसे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 820 रकबा 01.03 बीघा, खसरा संख्या 822 रकबा 348.14 बीघा कुल रकबा 349.17 बीघा भूमि तथा खसरा संख्या 912/790, 914/790, 915/790 व 1033/790 रकबा क्रमशः 101.18 बीघा, 04.04 बीघा, 25.16 बीघा व 01.10 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर समान रूप से हक होता है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे है तथा भूमि का हस्तान्तरण करने पर उतारू है। यदि उक्त भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाये हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में हिस्सा अनुसार प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक उभय पक्षों के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 820 रकबा 01.03 बीघा, खसरा संख्या 822	
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर		

रकबा 348.14 बीघा कुल रकबा 349.17 बीघा भूमि तथा खसरा संख्या 912/790, 914/790, 915/790 व 1033/790 रकबा क्रमशः 101.18 बीघा, 04.04 बीघा, 25.16 बीघा व 01.10 बीघा भूमि में उभय पक्ष मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर